

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-25/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० इन्द्राणी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरबहदा बाजार, खिजरसराय, गया के द्वारा प्रथम सतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक-21.01.2025 से 20.07.2025 तक को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-21.01.2025 से 19.07.2025 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-20.07.2025 को - कुल-01 (एक) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जगदादर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/एल०-25/2025-

610(2) पटना, दिनांक 16/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिजरसराय, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० इन्द्राणी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरबहदा बाजार, खिजरसराय, गया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

६